

राजस्थान सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:-एफ-2()बजट/अति.आंव./ICDS/20/ 5870-79

जयपुर,दिनांक: 12/11/2021

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
.....।

विषय:- विज्ञापन मद अंतर्गत बजट आवंटन वर्ष 2020-21 बाबत।


उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आई.सी.डी.एस. सामान्य योजनान्तर्गत विज्ञापन मद अंतर्गत निम्न लेखाशीर्ष में बजट आवंटन किया जाता है:-

मांग संख्या-30	मांग संख्या-33
2236- पोषण	2236- पोषण
02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण	02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	101- विशेष पोषण कार्यक्रम
(01)- समेकित बाल विकास सेवाएँ विभाग के माध्यम से	(01)- समेकित बाल विकास सेवाएँ विभाग के माध्यम से
[02]- एकीकृत बाल विकास योजना (शत प्रतिशत राज्य निधि)	[02]- एकीकृत बाल विकास योजना (शत प्रतिशत राज्य निधि)
11- विज्ञापन, विक्रय एवं प्रचार प्रसार व्यय	11- विज्ञापन, विक्रय एवं प्रचार प्रसार व्यय

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	नाम जिला कार्यालय	आवंटित राशि	क्र.सं.	नाम जिला कार्यालय	आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6
1	उपनिदेशक, डूंगरपुर	1.00	10	उपनिदेशक, हनुमानगढ़	0.30
2	.. प्रतापगढ़	0.69	11	.. जयपुर	3.31
3	.. उदयपुर	3.41	12	.. जोधपुर	1.10
4	.. अजमेर	0.26	13	.. झालावाड़	3.80
5	.. बांरा	1.19	14	.. करौली	2.19
6	.. बाडमेर	1.44	15	.. कोटा	1.81
7	.. चित्तौड़गढ़	1.77	16	.. स.माधोपुर	0.70
8	.. चूरु	1.30	17	.. टोंक	0.99
9	.. दौसा	0.50			

उक्तानुसार आवंटित राशि का अविलम्ब उपयोग आंगनवाडी मानदेय कर्मियों के चयन हेतु जारी विज्ञापित प्रकाशन के बकाया बिलों के भुगतान हेतु किया जाना सुनिश्चित करावें।


(ओ.पी. मीणा)
वित्तीय सलाहकार